these matters and has made a useful contribution. It would have been more useful, had it been germane. But it is not quite relevant here. Nevertheless, if he is talking in general terms about the expenditure on Governors and about the need to effect economies in that expenditure, that general matter is being considered by us in all its aspects. But so far as this particular matter goes, it could more properly have been discussed as a part of the discussion of the Gujarat Budget.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.03 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF PUNJAB AND THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

MR. CHAIRMAN : The House will now take up consideration of items 13 and 14 together.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : Sir, I beg to move the following Resolution :—

> "That this House approves the Proclamation issued by the President on the 15th June 1971 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Punjab."

Such a Resolution has already been passed by the other House.

The House is aware of the circumstances in which the Legislative Assembly of Punjab was dissolved by the Governor, on the advice of the Chief Minister, Shri Prakash Singh Badal. The circumstances are explained at length in the report of the Governor which has already been placed on the Table of the House. It is not necessary for me to go into the question of the propriety of the Governor's action. I would only like to draw the attention of the House to the situation that existed after the dissolution of the Assembly.

The last session of the Assembly had been held in January 1971 and a Vote on-account for the new financial year beginning from 1st April 1971 had been passed for a period of only three months. This period was due to end on 30th June, 1971. The session of the Legislative Assembly, which had been convened for 14th June, 1971, to pass the Budget for the remaining part of the financial year, could not take place as a result of the dissolution of the Assembly. Therefore, a situation had arisen in which the administration of the State would have come to a standstill with effect from the 1st July, 1971, if in the mean time a Proclamation under Article 356 of the Constitution had not been issued and the administration of the State had not been taken over by the President. Being presented with this situation, the House will appreciate that the President had no option but to issue the Proclamation for the approval of which I have now come before the House.

In accordance with Art. 356 (3) of the Constitution, the Proclamation will cease to operate with effect from 15th August 1971, unless before the expiry of that period it has been approved by resolutions of both of Houses of Parliament. As the House is aware, the electoral rolls in Punjab are being intensively revised and it would not have been possible for the Election Commission to hold fresh elections, before the expiration of the short period of two months from the date of issue of the Proclamation. I am sure that in these circumstances the House will gives its approval to the further continuance of the Presidential Proclamation under Art. 356 of the Constitution.

Sir, I further beg to move that the Bill to confer on the President the power of Legislature of the State of Punjab to make laws, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration.

The House is aware that in the Proclamation dated 15th June, 1971, in relation to the State of Punjab, the President has declared that the powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of Parliament. However, in view of the otherwise Busy schedule of the two Houses, it would be difficult for Parliament to deal with the various legislative measures that may be necessary in respect of the State

[Shri K. C. Pant]

There would be particular difficulty in situations requiring emergent legislation. The Bill, therefore, seeks to confer on the President the power of the State Legislature to make laws in respect of the State. It has been the normal practice to undertake such legislation in relation to the States under the President's rule and the present Bill is on the usual lines. Provision has been made for the constitution of a Consultative Committee, consisting of Members of Parliament, which will be consulted before enacting laws in respect of the State of Punjab Provision is also being made to empower Parliament to direct modifications in the laws made by the President, if considered necessary.

I request the hon. House to accept the legislative proposal before it

MR CHAIRMAN : Motions moved .

(1) "That this House approves the Proclamation issued by the President on the 15th June, 1971 under article 356 of the constitution in relation to the State of Punjab."

(2) "That the Bill to confer on the President the power of Legislature of the State of Punjab to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration "

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : सभापति महोदय, आज से नही, 1967 से, सरकार और सरकार को चलाने वाली पार्टी देश मे यह ड्रामा खेल रही है कि अलग अलग स्टेट्स से चुनी हुई सरकारो को गिरा कर वहा पर प्रैजिडेंट्स रूल कायम किया जा रहा है । गवर्नमेंट मे रह कर कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी की दुर्दशा कर रही है और उस से ऊब कर जनता एक नया रास्ता तलाश कर रही है । (**व्यवधान**) पिछले चौबीस साल से यह सरकार जिस नीति और जिस नजरिये को ले कर चल रही है, जिस तरह यह सरकार जनतत्र की हत्या कर रही है, देश की जनता उस का विरोध करती है ।

मै कल ही पजाब से हो कर आया हू। मै ने देखा है कि वहा पर रिच पीजेन्ट्स और जागीरदारों का राज चल रहा है और गरीब किसानो और एग्रीकल्चरल लेबरर्ज की हालत इतनी खराब है कि आज कोई उन को देखने वाला नही है । हरिजनो के नाम से चुनकर आते है, मगर यहा आ कर उन का नाम भी नही लेते है । आज वहा पर जितनी वेस्ट-लैंड है गवर्नमेन्ट की, एक को भी तकसीम नही किया गया है । गरीब किसानो को, जिन के पास दो चार या पाच एकड जमीन है, किसी किस्म की आमानी नही मिल रही है, न उन को कर्ज मिलता है, न सिचाई वगैरह की कोई सुविधा मिलती है । वहा बडे-बडे जागीरदार और बड़े किसानो का राज चल रहा है । लैंड रिफार्म भी अभी तक लागू नही किया गया । आज भी वहां के बड़े बडे जमीदारो के पास दो-दो हजार एकड के फार्म है, कोई सीलिंग लागू नही किया गया है । न काग्रेसवालो ने लागू किया और न अकाली सरकार ही उस कानून को लागू कर सकी । ये दोनो चाहे सफेद पगडी पहनें या नीली पगड़ी पहने, चाहे काग्रेस के हो या अकाली के हो, दोनो की एक ही नीति रही है दोनो एक ही तरह से पजाब को चलाते रहे है । आज वहा पर इण्टस्ट्रीज नही है, लैंड रिफार्म के नाम से कुछ नही है, दो-दो हजार एकड जमीन के मालिक ही वहा का राज चला रहे है इस तरह की धाधली वहा पर चल रही है ।

मै चाहता हू कि हमारे मत्री महोदय, जब प्रेजिडेन्ट रूल वहा पर लागू हुआ है, तो कुछ करके दिखलाये । अगर वह अपनी सच्चाई का सबूत देना चाहते है तो लैंड रिफार्म के लिये फौरन आर्डिनेन्स जारी करे । आप इसके लिये प्रेजिडेन्ट को एडवाइस करें कि सरकार वहा पर लैंड रिफार्म लागू करके गरीब किसानो को जिनके पास जमीन नही है, जमीन दिलाये । हमारी पार्टी इस सवाल को आज से नहीं बरसो से उठाती चली आ रही है कि लैंड रिफार्म लागू करो, सीलिंग करो, दो हजार एकड वालो से जमीन छीनो, इस जमीदार राज को खत्म करो । मैं आप से माग करता हू कि आप फौरन आर्डिनेन्स जारी करें ताकि

यह सवाल हल हो सके । यही आपकी सच्चाई और दयानतदारी का सुबूत होगा, दो-तीन महीनों मे इस काम को करके दिखलायें ।

पंजाब में आज कोई भी इण्डस्ट्री नही है । छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं । चूंकि इन बड़े बड़े जागीरदारों और बड़े किसानों मे पंजाब को अपना अड्डा बनाया हुआ है, बड़े बड़े फार्म बनाये हुए है, उनका राज चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर आज कोई इण्डस्ट्री नहीं है । मै तो यह चाहता हूं कि आप वहां पर कुछ बड़ी इण्डस्ट्रीज खोलने की कोशिश करें ।

आज वहां पर जो पुलिस का रिप्रेशन चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, वह समझ मे नहीं आ रहा है । हम बंगाल मे रहते है, हम पुलिस रिप्रेशन को जानते है, लेकिन यहां पर जो रिप्रेशन चल रहा है, उसको समझना बडा मुश्किल है । आज कल वहां पर क्या हो रहा है—पकड़ कर ले जाते है, मार डालते है और कहते है नक्सलाइट था । कोई एन्क्वायरी नहीं है । जहां पर मर्डर हुआ है, लोगों को मारा गया है, अगर आप उसकी एन्क्वायरी करा कर देखें, तब आपको मालूम होगा कि हकीकत क्या है । यह पुलिस का रिप्रेशन अकालियों के जमाने मे भी चला, कांग्रेसियों के जमाने में भी चला और अब प्रेजीडेन्ट रूल में उसी तरह से पुलिस का जुल्म चल रहा है । मैं अभी दो दिन के लिये वहां गया था, हजारों आदमियों से मिला, उनकी तरफ से यही एक सवाल था कि आप कम से कम पार्लियामेंट मे इस सवाल को उठायें । हमने कहा—भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी, उनके सामने बीन बजाने से क्या होगा, फिर भी हम बजायेंगे । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस बारे में अपना स्टेटमेंट दें ।

करप्शन का जहां तक सवाल है, उसके बारे मे कहने की जरूरत नहीं है, वह सब ही जानते है, मिसाल के तौर पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के बारे में । वहां के लोगों ने खुद भेजा और एम० पीज मे भी दस्तखत करा कर गवर्नर के पास भेजा, उसमें फैक्ट्स दिये, लेकिन उसकी इन्क्वायरी नही हुई । वहां पर करप्शन खुले आम चल रही है, लेकिन उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं है । मैं चाहता हूं कि जब वहा पर प्रेजिडेन्ट रूल है और आप उसके कर्णधार है तो आपको इस दौरान में कुछ न कुछ करके दिखलाना पड़ेगा । जिस तरह से आप अपने को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, हम भी जनता के प्रतिनिधि है और जब हम आपके सामने इस सवाल को रखते है तो हम उम्मीद करते है कि आप ईमानदारी से इसको हल करेंगे और इसके बारे मे वायदा करेंगे ।

मैंने अभी जो सवाल आपके सामने उठाये हैं—एग्रीकल्चर लैंड रिफार्म के लिये फौरन आर्डीनेंश जारी करना, पुलिस के रिप्रेशन के बारे मे जो वहां पर मरडर्ज हुए हैं, उनकी जांच के लिये जूडिशियल एन्क्वायरी बैठाने के बारे में, पहले बंगाल मे नक्सलाइट्स का सवाल उठा था, अब पंजाब मे उठ रहा है—इन सब के बारे मे आप क्या करना चाहते है, अपने बयान मे हमें बतलायें । अभी आपने कहा कि गवर्नर के खर्चे के बारे मे आपको पता नही है कि इतना खर्च होता है, इसके बारे में आप ने सोचा नही है . . .

श्री कृष्ण चन्द पन्त : मैंने ऐसा नही कहा है . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री मोहम्मद इस्माइल : पिछले 24 सालों मे कांग्रेस सरकार चला रही है इसके राज में बड़े लोग ज्यादा धनी होते जा रहे है और गरीब गरीब होते जा रहे हैं . . .

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : इनकी पार्टी अकाली पार्टी के साथ रही है, उनका साथ देती रही है और अब यहां पर ऐसी बातें कह रहे हैं . .

श्री मोहम्मद इस्माइल : अकाली और कांग्रेस दोनों जागीरदार हैं ।

श्री सतपाल कपूर : आप अकालियों का साथ देते हैं।

श्री मोहम्मद इस्माइल : बड़े बड़े जमींदार जिनका दो-दो हजार बीघे पर कब्जा है आज वही पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं। गरीब किसान, हरिजन नीचे पड़ा हुआ है मैं उन बातों का आपसे जवाब चाहता हूं, आशा है आप जवाब देंगे।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : चेयरमैन साहब, हमें इस बात की खुशी है कि आज सरकार की तरफ से एक बिल लाया गया है, जिसके जरिये ताकत प्रेजिडेन्ट के हाथ में दी जाने वाली है। कुछ अर्से के लिये उस को और एक्सटेण्ड किया जा रहा है ताकि प्रधान-राज लागू रह सके।

अभी हमारे सी० पी० एम० के दोस्त ने एक बात उठाई कि कांग्रेस वाले भी जागीरदारों की मदद करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उनकी वाकफियत पंजाब के बारे में कम है। मुझे उनकी मासूमियत पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त हैं, जिन्होंने खुद कह दिया कि कलकत्ते से जाकर मैंने सब कुछ देखा है। मैं समझता हूं कि सिर्फ कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिये उन्होंने इसमें कांग्रेस का शामिल कर लिया है, लेकिन उनके मन में ऐसी बात नहीं थी। अकालियों की जो सरकार वहां पर थी, जो अपने बोझ से खुद टूटी है, उसको बनाये रखने के लिए सबसे अधिक अगर किसी ने मेहनत की है तो वह सी० पी० एम० के दोस्तों ने की है। मैं आज आप को वार्निंग देना चाहता हूं—आप ने बहुत अच्छी बातें कही हैं लेकिन आइन्दा इलैक्शन में आप ख्याल रखना कि सी० पी० एम० के जो दोस्त हैं, वे ही अकालियों के साथ एडजस्मेंट की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप को अर्ज करना चाहता हूं कि 1970 के अप्रैल में जो सरकार हमारे यहां आई, उसका नाम था—अकाली सरकार, उसको सपोर्ट करने के लिये हमारे यहां भिन्न-भिन्न पार्टियां लगी हुई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह सरकार बनी रहे और उनमें से एक पार्टी सी० पी० एम० भी थी। मैं इस बात को मानता हूं कि उनकी अपनी स्ट्रेटिजी है, आप फ्यूडल की मदद करना चाहते हैं, दो हजार एकड़ वालों की मदद करना चाहते हैं तो करें, यह आपका अपना आउट लुक है, हमें इससे वास्ता नहीं है, लेकिन मदद होती रही और वहां पर उन की सरकार कायम रही—यह बात साफ है। मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]

किसी ने तोड़ी है। सरकार खुद टूटी है, इस लिये कि वह करप्ट थी, बद्दमान थी। उन्होंने जितने काम किये इतने बुरे किये कि अपने बोझ से ही टूट गई। यहां आप कहते रहे कि कांग्रेस ने तोड़ी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका पैमाना इतना भरता गया कि उसे टूटना ही था, बहना ही था, लावा बह गया और वह टूट गई। यह अच्छी बात हुई कि वहां प्रधान राज हुआ और ऐसी हालत पैदा कर दी गई कि जिससे हम आइन्दा के लिये सही रास्ते पर चल पायें।

मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि एक मेमोरेंडम दिया गया है। किसने दिया है? वहां के एक टूरिज्म के मिनिस्टर ने दिया है जोकि उनके साथ में थे और उनका नाम है त्रिलोचन सिंह रियास्ती। उन्होंने अपना मेमोरैंडम हमारे प्रेसीडेन्ट साहब को भी दिया है और यहां भी कहीं पेश किया होगा। उसमें जितनी कुछ बुराइयां बयान की गई हैं वह उस मिनिस्ट्री का एक स्टार्टिंग रिकार्ड है। उसमें से मैं एक मिसाल देता हूं कि एक बस अड्डे के लिए एक एकड़ जमीन पर 4 लाख 80 हजार रुपया खर्च किया गया और वह जमीन किसी चीफ मिनिस्टर के भाई या रिश्तेदार की थी। आखिर यह क्या है? वह दिल्ली नहीं है, वहां पर जमीन आम मिलती है और सस्ती मिलती है। अगर किसी गरीब की जमीन लेनी होती है तो दस-बीस रुपए में ही ले ली जाती है। किसी

गरीब की जमीन को थोड़े पैसे मे ही एक्वायर कर लिया जाता है । तो यह कोई छोटी बात नही है । उन्होने बहुत बडा मेमोरैंडम दिया है जिसमे से मैने सिर्फ एक मिसाल यह ही है ।

मै दो तीन बाते अर्ज करना चाहता हू । मै क्यो कहता हू कि इस सरकार को भी आर्डिनेन्स के जरिए लैंड रिफार्म्स की प्लगिंग करनी चाहिए ? क्योंकि वहा पर एक क्लाज 21 (ए) है जिसमे गार्डेन्स और वेल रन फार्म्स को छूट दी गई है । आप उसको निकाल लीजिए और अभी से फैसला कीजिए कि गार्डेन्स के बहाने या वेल रन फार्म्स के बहाने जितनी जमीन उन्होंने हडप ली है वह सारी जमीन निकाल कर उन लोगो मे तकसीम कीजिए जो लोग काश्त कर सकते है और जो बे जमीन है । इस काम को फौरन करना चाहिए ताकि लोगो को यह पता लग सके कि एक तब्दीली आई है । इसके साथ-साथ बहुत ज्यादा न कहते हुए इतना ही अर्ज करना हू कि आपको यह देखना चाहिए कि इतना बडा मेमोरैंडम जो दिया गया है उसके लिए एक इक्वायरी कमीशन बिठाया जाये । उन लोगो का रिकार्ड इतना गन्दा रहा है और उनके खिलाफ इतने इल्जाम है और एस एक साल के अर्से मे ही उन्होने इतना रुपया इकट्ठा किया है जिसका कोई हिसाब नही है । जमीने बेनामी अपने माइनर लड़को के नाम पर ले ली गई है । यह कोई छोटी बाते नही है बल्कि इक्वायरी कमीशन बिठाने के काबिल है । जब आप इक्वायरी कमीशन मुकर्रर करेंगे तो साल डेढ साल के अर्से मे जो उनका रिकार्ड रहा है और उसमे उन्होने जितनी बुराई की है उनको लोग खुद ही आपके सामने रखेंगे । आप टर्म्स आफ रेफ्रेन्स मे भी इस बात को रखिए और उन बातो की स्क्रुटिनी कर लीजिए । मै यह नही कहता कि बिला वजह किसी को टैग किया जाये लेकिन ये मिसाले इतनी उभरी हुई है कि ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नही रह जाती है । आप वहा पर जरूर एक इक्वायरी कमीशन मुकर्रर कीजिए ।

एक बात इन्टेरिम रिलीफ के बारे मे कहना चाहता हू । सबार्डिनेट सर्विस वालो ने वहा पर काफी एजिटेशन किया और उसके नतीजे के तौर पर हजारहा टीचर्स को उस सरकार ने एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ फैंक दिया । अब गवर्नर साहब ने फैसला किया है कि उनको अपनी जगह पर आना होगा । चाहे किसी का बेनिफिट होना हो या नही, आप एक ब्लैंकेट डिसीजन लीजिए कि पहले वे अपनी जगह पर आ जाये । रिलीफ के बारे मे यह कहना चाहता हू कि किसी हद तक कुछ कैटेग्रीज का मिला है, शायद 11 रुपया दिया गया है लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन नही है । इस मामले को रेव्यू करना चाहिए और हमारे यहा की सरकार को हिदायत करनी चाहिए कि वे कुछ न कुछ नीचे वालो के लिए ऐसी चीज सोचे जिससे हमदर्दी के तौर पर उन लोगो को कुछ दस्तियाब हो सके और किसी हद तक उनकी रीजनेबिल तसल्ली हो जाये । इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए ।

इसके साथ-साथ शायद एक बात आपकी नोटिस मे नही लाई गई कि डिसेन्ट्रलाइजेशन की जो पावर पचायतीराज मे दी गई थी वह सारी की सारी पावर्स उस सरकार ने खीच ली है । उस ऐक्ट मे एक दफा 35 (ए) है जिसमे है कि जितनी पावर्स चेयरमैन, पचायत समिति को थी वह सारी की सारी विदड्रा करके डी०सीज० को दी गई है, वही उनके रिकार्ड लिखेगा और सारा कुछ करेगा । डी०सी०मे नीचे का कोई भी अमला अपने तौर पर इन्डेपेन्डेन्टली कोई काम नही कर सकता है । यह डिसेन्ट्रलाइजेशन नही है बल्कि सेन्ट्रलाइजेशन है । इसलिए इस क्लाज को फौरन निकाल करके या दुरुस्त करके या फिर नये सिरे मे तरमीम कर कुछ करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि डिसेन्ट्रलाइजेशन जिसके बारे मे हमने कहा है कि पंचायतीराज सब जगह होना चाहिए उसके लिए पूरे तौर पर तसल्लीबख्श काम हो सके ।

इसी के साथ साथ यह जो झगडे है—जैसे एलेक्ट्रिसिटी का झगड़ा है या वाटर का झगडा

[श्री दरबारा सिंह]

है—चाहे बेसिक हमारी स्टेट के या किसी दूसरे के साथ जैसे हरियाना के साथ है, उनको तय करना चाहिए, वाजिब तौर पर डिमाण्ड कर देना चाहिए।

इसके साथ साथ अभी जैसा मैंने कहा कि उन पर इतने करप्शन के चार्जेज लगाए गए है—उसमे जो रुपए की तकसीम हुई है—रियास्ती जी ने ये चार्जेज लगाए है, वह उनकी जत्थाबन्दी जो है उसमे लीडर्स ने भी हिस्सा लिया है लेकिन उस पैसे को वे हजम नही कर पाए हैं और इसीलिए वे एक जत्था लेकर के वहा से चले हुए है। 101 आदमियो का वह जत्था अमृतसर से चला हुआ है। वे कहते है कि हम दिल्ली के लिए चले हुए है और दिल्ली के गुरुद्वारों को अपने कब्जे मे लेना है। यह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी जो है, हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमे वह हार गई और फिर उसके बाद उनके पास कोई पालिटिकल हथियार नही रहा। अगले एलेक्शन के लिए उनके पास कोई मुकम्मिल प्रोग्राम भी नही है जिसके जरिए वे लोगो की आर्थिक स्थिति सुधारने जा रहे हों। वे एक ही श्रेणी के लोगों को, एक ही किस्म के लोगो को और एक ही जमात के लोगों को आगे लाना चाहते हैं। ऐसी हालत मे वे क्या कर सकते है जिससे कि इस मुल्क की या उस सूबे की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके या उन्ही लोगो की आर्थिक हालत अच्छी हो सके जिनको साथ लेकर वे कभी नारा देते हैं कि हम खतरे मे है। इन सारी चीजो की वजह से ही मै कहता हू कि उन्होने दिल्ली की तरफ धावा किया है और यह कहते है कि दिल्ली मे जाकर हम सीसगज और दूसरे गुरुद्वारो को अपने कब्जे मे लेना चाहते है। मैं आपको बताना चाहता हू कि आज अमृतसर से जो लोग चले है उनका कहा कहा क्या स्वागत हुआ है ? उनका स्वागत हुआ है काली झडियो से, उनका स्वागत हुआ नारेबाजी से। जो लोग कभी कहते थे कि इनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहना पाप है उन्ही लोगों की एक जबान नही, बीस जबान नही बल्कि हजारों जबानो से यह बात निकल रही है कि आप वापिस जाये, आप पाखडी है, आप पाखड करने के लिए जा रहे है। उसी सारे रुपए से जीपो और बडी बडी बसो को साथ लेकर वे आ रहे हैं यहा दिल्ली मे। शायद वे समझते हैं कि दिल्ली हजम करने के लिए हम बहुत है। मै कहता हू कि वह जमाना चला गया जबकि आपका एजिटेशन किसी हदतक चल सकता था, आज लोगो का रुख समाजवाद की तरफ चला गया है, लोग रोटी, कपडा और मकान की तरफ तवज्जह दे रहे है। अब लोग उनकी इस बेहूदा पालिटिक्स की तरफ तवज्जह देने वाले नही है। इसीलिए हर जगह पर उनका काली झडियो से स्वागत हो रहा है और यह इस बात का प्रतीक है कि ये लोग अपने तौर पर खुद ही टूट गए है और अपना खोई हुई साख को नये सिरे से बनाने के लिए दिल्ली की तरफ आ रहे है। मै यही बात कहता हू कि यह एक ऐसी चीज है जिससे हम एक बात सबूत मिलता है कि उनके पास उतना रुपया इकट्ठा है जिससे इतनी मोटरे और जीपे लेकर दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे है और कहते है कि पैसो की कोई परवाह नही है, हम तो गुरुद्वारे चाहिए। यहा के गुरुद्वारो मे सारे साल की 11 लाख की आमदनी दिखाई जाती थी लेकिन अब जब से यह कमेटी बनी है एक हफ्ते में ही 1 लाख 34 हजार की आमदनी दिखाई गई है। हम नही चाहते कि कमेटी के चुनाव के लिए कोई बहुत लम्बी तारीख मुकर्रर की जाये लेकिन जब तक पूरी तरह से सुधार नही हो जाता और इस बात का सैटिस्फैक्शन नही हो जाता कि गुरुद्वारे जिसके हाथ मे जायेंगे वे उसको ठीक से चलायेंगे तब तक देखना पडेगा और उसके बाद फौरन एलेक्शन करवाये जायेंगे। लेकिन सन्त फतेह सिंह वही से बैठे बैठे कहते है कि एक तारीख मुकर्रर कर दो। यह क्या बात है ? यह दिल्ली के गुरुद्वारो की बात है और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी

पंजाब में है । वे कहते हैं कि दिल्ली के गुरुद्वारे हमारे सुपुर्द कर दो । इसी मुखालिफाना कब्जे के लिए वे आ रहे हैं । लेकिन दिल्ली के लोग कहते हैं कि हमारे गुरुद्वारे हैं और हम इसको चलाना चाहते है लेकिन वे कहते हैं कि हमारे कब्जे में दे दो । लोगों का रुख और रिएक्शन तो यह है कि अगर वहां के गुरुद्वारों का इन्तजाम भी अगर सम्हाला जाये तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए बच सकते है जिसको कि तामीरे नौ के लिए खर्च किया जा सकता है और ऐसे लोगों को लिए खर्च किया जा सकता है जिनके लिए वे खुद कहते है कि हम उनके अलमबर्दार है और सब कुछ उन्हीं के लिए करने वाले हैं । अगर इस ढंग से आप देखें तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह उनकी अकलमन्दी का सबूत है कि इन लोगों ने कितनी करप्शन की है, इन लोगों ने एक एम० ए० फर्स्ट क्लास मांगा था हेल्थ डिपार्टमेंट में डेमोंग्रैफर के लिए ।

सभापति महोदय : दरबारा सिंह जी, आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे ।

अब इस समय आधे घंटे की चर्चा चलेगी ।

17.30 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION Re. LEAD BANK SCHEME

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): I have raised this discussion on the Lead Banks to bring out certain aspects of their functioning and to seek certain remedies. We all know the system of lead banks has been instituted by the Reserve Bank following a study and recommendation made by Dr. Gadgil. Later on, the Reserve Bank set up a committee which recommended the institution of such a scheme. The scheme has then been instituted.

It is said that the purpose is to have an area approach and to give credit facilities and to do intensive banking operation in neglected areas, among people who were hitherto neglected, and in the priority sector. I think the objective of the scheme is ideal; nobody will object to it. But the question is how far this scheme has been successful and how far it could be successful. For example, there are certain peculiar problems which we shall face in the rural India. We have still the problem of money lenders. It is still the order of the day in the villages. Money lenders are providing money for many schemes. The lead banks should operate in such a way that they can get rid of the money lenders. If it could be achieved it will be a wonderful thing.

According to a review published in the Reserve Bank Bulletin this objctive by the lead banks. I know that the lead banks is not something which is meant for monopoly operation in the rural areas, but certain practical problems come in the way. We have traditional industries all over the country such as handloom, coir, cashew, goldsmiths etc. People who are engaged in these operations need financial assistance from the banks. Experts of these banks are supposed to makes surveys and studies in the given areas according to the Reserve Bank bulletin. Sometimes these surveys are academic, sometimes they are scrappy and sometimes they are too sophisticated to be of any use.

I can cite certain concrete examples of how this affects the initiative of the people. One of the most important objectives of the scheme was to provide help to labour intensive schemes, to help and support them. But in Kerala what happened? There was a cooperative society set up by the unemployed engineers and technicians. It is called ENCOS. This cooperative society of unemployed engineers collected Rs. 6 lakhs and they were a promised three times of Rs. 6 lakhs by the Kerala Government, but they could give only Rs. 6 lakhs. For the remaining Rs. 12 lakhs they were told that the State Government would stand guarantee and had requested the banks and other financial institutions to assist the scheme which was feasible, They are building boats, they are producing scooters. They are running such sophisticated industries, but what did the Bank say? The hon. Minister knows it very well. The Lead Bank which was supposed to lead banking operations in the area and help such schemes said that it could not support these schemes even if the State Government guarantee...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R.